भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या :2621

उत्तर देने की तारीख :16.12.2025

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति

2621. श्री एम. के. राघवनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब और बकाया राशि का समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बढ़ते शैक्षणिक व्यय को देखते हुए छात्रवृत्ति दरों में संशोधन का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या सरकार को राज्यों की ओर से छात्रवृत्ति पोर्टलों में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण समय पर अनुमोदन न मिलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 2021-22 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केंद्र प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। केंद्रीय हिस्सा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी किया जाता है। केन्द्रीय हिस्सा जारी किया जाना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के किए गए भुगतान संबंधी डेटा को केन्द्रीय पोर्टल/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर भेजे जाने पर निर्भर करता है। उपरोक्त योजना पूरे भारत में सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र छात्रों के लिए खुली (ओपन-एंडेड) और मांग पर आधारित है।

मंत्रालय अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और विमुक्त-जनजातियों (डीएनटी) से संबंधित छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

उपर्युक्त योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम निम्नानुसार हैं:

- राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर पर बैठकें आयोजित करके और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरे करके आवधिक समीक्षा की जाती है।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर योजनाओं को शामिल किया जाता है और शुरू से अंत तक ऑनलाइन प्रसंस्करण किया जाता है।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर शामिल होने वाले उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियमित रूप से बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित की जाती है जिनके पास अपने स्वयं के छात्रवृत्ति पोर्टल हैं।

(ख): व्यय वित्त समिति और मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए, वर्तमान छात्रवृत्ति दर वित्त वर्ष 2025-26 तक प्रभावी है। योजनाओं की समीक्षा और संशोधन, जिसमें छात्रवृत्ति दरें भी शामिल हैं, एक निर्धारित प्रक्रिया के अधीन हैं।

(ग): योजनाओं के प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए छात्रवृत्तियां निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से जारी की जाती हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट की गई तकनीकी गड़बड़ियों का पोर्टल के माध्यम से समाधान किया जाता है और उसका तुरंत हल किया जाता है।

*****